

General conditions of contract

सभी निविदादाता निम्न निर्देशों का भली प्रकार अध्ययन कर लें ताकि उनकी निविदाओं का निस्तारण करने में कोई विवाद न हों।

1. ठेकेदार/फर्मों को नगर निगम देहरादून में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
2. फर्म के नाम पर हुए रजिस्ट्रेशन की दशा में निविदा के साथ पार्टनरशिप डीड की प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए अन्यथा निविदा खोलते समय निविदा के साथ पार्टनरशिप डीड न होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी।
3. निविदा में ठेकेदार के हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर ही होने चाहियें। निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर न होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी।
4. ठेकेदार को बेवसाईट पर टेण्डर अपलोड करते समय अपना वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन निविदा प्रपत्र का मूल्य धरोहर धनराशि तथा General conditions of contract पर हस्ताक्षर कर अपलोड करना आवश्यक होगा।
5. धरोहर राशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 या एन0एस0सी0 के रूप में जो वित्त नियंत्रक नगर निगम देहरादून के पदनाम से बन्धक हो, को अपलोड एवं कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. कार्यपूर्ति/प्रतिपूर्ति निक्षेप को सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध से पूर्व नियमानुसार नगर निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
7. निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए रू0 100/- (एक सौ रूपयें मात्र) के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न करना होगा। यथा—
क— निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों की सत्यता/प्रामाणिकता हेतु।
ख— किसी भी सरकारी विभाग से कोई वाद नहीं है।
ग— किसी भी विभाग द्वारा न तो “ब्लैक लिस्ट” किया गया और नहीं सुरक्षा धनराशि जब्त की गयी।
8. निविदादाता/फर्म को विगत 3 वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतिया तथा विगत वर्ष का जी0एस0टी0 क्लेरेन्स संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी अपरिहार्य स्थिति एवं राजकीय हित में किसी एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार नगर निगम देहरादून की निविदा समिति में निहित होगा।
10. निविदादाता को निविदा की वैधता हेतु रू0 100/- के स्टाम्प पर रू0 1/- का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा प्रपत्र मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट जी0एस0टी0 18 प्रतिशत जोड़ते हुए अपलोड एवं नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के कार्यालय में जमा करना होगा।
12. तकनीकी खराबी के कारण निविदा प्रक्रिया में व्यवधान हेतु नगर निगम देहरादून उत्तरदायी नहीं होगा।

13. निविदादाता का विगत तीन वर्षों का टर्नओवर रू0 40.00 लाख से अधिक होना चाहिए।
जिसकी सत्यता चार्टर्ड अकाउन्टेंट से प्रमाणित करनी अनिवार्य होगी।
14. निविदादाता को कार्य की लागत के 25 प्रतिशत धनराशि के निर्माण कार्यों को एक वर्ष में सफलतापूर्वक सम्पन्न किये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर—
ठेकेदार का नाम—
पता—
मोबाईल नं०—


आधेशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून